

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

दिनांक-30.03.2020

विषय- नोवल कोरोना वायरस के कारण लॉक डाउन से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थल की सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या 161/एक-10-2020-33(221)/2011टी0सी0-2, दिनांक 27.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नोवल कोरोना वायरस के कारण लॉक डाउन से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थल की स्थापना हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी। उपरोक्त अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्पों/आश्रय स्थलों के स्थापना के संबंध में आप द्वारा कोई अधिकृत सूचना शासन को अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

अतः अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्पों/आश्रय स्थल के संबंध में सूचनायें पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर आज ही सायं 05.00 बजे तक rahat@nic.in पर ईमेल के माध्यम से अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संलग्न प्रारूप के कॉलम संख्या 8, 9 व 10 की सूचना अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्पवार/आश्रय स्थलवार प्रतिदिन सायं 05.00 बजे तक rahat@nic.in पर ईमेल के माध्यम से अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सूचना न उपलब्ध कराने की स्थिति को गम्भीरता से लिया जाएगा।

संलग्नक- उपरोक्त।

भवदीय,

-  30/3/2020

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव

अस्थायी स्कीनिंग कैम्पवार / आश्रय स्थल की सूचना

जनपद का नाम-

प्राकरण

दिनांक-

क्र०सं०	जनपद में स्थापित किए गये अस्थायी स्कीनिंग कैम्पों / आश्रय स्थलों की संख्या	प्रत्येक अस्थायी स्कीनिंग कैम्पों / आश्रय स्थलों का पता (अलग-अलग)	प्रत्येक स्थल की क्षमता	अस्थायी स्कीनिंग कैम्पों / आश्रय स्थलों के इंचार्ज का नाम, पदनाम, पता व मोबाइल नं०	अस्थायी स्कीनिंग कैम्पों / आश्रय स्थलों पर उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
					1-द्विकिस्तीय सुविधा 2-शौचालय की सुविधा 3-बिस्तर की व्यवस्था 4-पेयजल की व्यवस्था 5-सेनिटाइजर / साबुन की व्यवस्था 6-भोजन की व्यवस्था 7-निरन्तर साफ-सफाई की व्यवस्था 8-सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन	हों / नहीं हों / नहीं हों / नहीं हों / नहीं हों / नहीं हों / नहीं हों / नहीं हों / नहीं	

नोट- कॉलम संख्या 8 की सूचना अस्थायी स्कीनिंग कैम्पवार / आश्रय स्थलवार प्रतिदिन सायं 05.00 बजे तक rahat@nic.in पर ईमेल के माध्यम से अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

फुटनोट- 6(1) उपचार के दौरान कितने व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव के लक्षण पाये गये:-
 (2) कितने लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया:-